न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./19/2024

1. भागचन्द पुत्र महावीरदास जाति साधू निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. खुशीराज पुत्र भागचन्द जाति साधू निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. मुकेश पुत्र नारायणदास जाति साधू निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. शिवप्रसाद पुत्र नारायणदास जाति साधू निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गोगा जाति दरोगा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. रमेश पुत्र गोगा जाति दरोगा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. संतोष पत्नी बाबूलाल जाति नट निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रंगलाल पुत्र श्रीराम जाति दरोगा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 71 में दर्ज खसरा नं. 531/274 रकबा 0.16 कुल किता 01 कुल रकबा 0.16 हैक्ट तथा खाता सं0 75 में दर्ज खसरा नं. 274 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02 और 04 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट करते कर पूर्ण सहमति व स्वीकृति देते हुए, पत्रावली में अपना जबाव पेश किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कथन करते हुए, प्रार्थना–पत्र साबित करने का भार प्रार्थीगणों पर बताया। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

...या। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया ... पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 71 व 75 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 71 में दर्ज खसरा नं. 531/274 रकबा 0.16 कुल किता 01 कुल रकबा 0.16 हैक्ट तथा खाता सं0 75 में दर्ज खसरा नं. 274 रकबा 0.81 कुल किता 01 कुल रकबा 0.81 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (के...) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)